बिहार सरकार

कार्यालय जिलाधिकारी एवं समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)

(जिला स्थापना शाखा)

भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–04 बजट(विविध) 06–10/2010–3687 दिनांक 26.04.2010 एवं 7644 दिनांक 05.08.2010 तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0(बैठक)–03/2016– 1101 दिनांक 08.09.2016, 1621 दिनांक 28.12.2016 एवं 522 दिनांक 24.04.2017 के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत पदस्थापित पदाधिकारियों हेतु कुल 06 (छः) वाहनों की आवश्यकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. कैमूर जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ता–	01(एक) वाहन, मासिक अधिसीमा–1800 कि0मी0
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ–	01(एक) वाहन, मासिक अधिसीमा–1800 कि0मी0
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां–	01(एक) वाहन, मासिक अधिसीमा–1800 कि0मी0
4. जिला लोक शिकायत निवारण पदा0, कैमूर–	01(एक) वाहन, मासिक अधिसीमा–2000 कि0मी0
5. अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदा0, भभुआ–	01(एक) वाहन, मासिक अधिसीमा–1000 कि0मी0
6. अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदा0, मोहनियां–	01(एक) वाहन, मासिक अधिसीमा–1000 कि0मी0

उक्त के निमित्त निम्नांकित शर्त्तों के अधीन भाड़े पर (चालक सहित) वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक वाहन स्वामियों/एजेन्सियों से उपरोक्त प्रत्येक क्रम यथा 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के लिए अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता को प्रति वाहन प्रति माह सभी कर सहित दर देना होगा।

1. वाहन का प्रकार– नन ए0सी0 बोलेरो, सूमो, इत्यादि (चालक सहित)
2. वाहन के भाड़े का भुगतान मासिक किया जायेगा।
3. भाड़े का वाहन 12 माह के लिए लिया जायेगा।
4. भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का रख–रखाव एवं उस पर होने वाले ईंधन एवं चालक पर व्यय का वहन वाहन स्वामी के द्वारा किया जायेगा।
5. प्रत्येक माह के लिए निर्धारित अधिसीमा से अधिक परिचालन की स्थिति में कोई भी अतिरिक्त राशि वाहन स्वामी को देय नहीं होगी, परन्तु अधिक परिचालन के ईंधन की आपूर्ति/समतुल्य राशि का भुगतान लॉगबुक के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।
6. निविदा खोलने से पूर्व वाहन के फिटनेस की जांच जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें मोटरयान निरीक्षक सदस्य होंगे।
7. वाहन का निबंधन बिहार राज्य का होना आवश्यक है। अन्य राज्य में निबंधित होने की स्थिति में बिहार राज्य के जिला परिवहन कार्यालय में वाहन का ए0पी0 (वर्तमान पता) दर्ज होना आवश्यक है।

उपर्युक्त शर्त्तों के अनुरूप न्यूनतम मासिक Bid (बीड) देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथो–हाथ जिला स्थापना शाखा (समाहरणालय, कैमूर(भभुआ) में समर्पित करने की अंतिम तिथि 18.11.2017 को कार्यालय अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा को दिनांक 21.11.2017 के 03:00 बजे ~~पूर्वाहन~~/अपराहन में समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

इस निविदा को बेबसाईट http:/kaimur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

15/X

जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Tendar SDC for Vehicle -2017